

**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर**  
**पीठासीन अधिकारी— श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.**

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./62/2025/बाड़मेर

अपीलांटस

रेस्पोडेंट्स

प्रतिवादी पदमाराम के वारिसान—	1. खेराजराम पुत्र पोकरराम के का.मु.—
1. गोमाराम पुत्र पदमाराम	1/1. पोकरराम पुत्र खेराजराम
2. जसुराम पुत्र पदमाराम, जाति जाट, निवासी जोनियो की ढाणी, बायतु चिमनजी तहसील बायतु, जिला बाड़मेर।	1/2. दमाराम पुत्र खेराजराम
	1/3. इन्द्राराम पुत्र खेराजराम
	1/4. गुणेशाराम पुत्र खेराजराम
	1/5. नरपंतसिंह पुत्र खेराजराम
	<b>प्रफोर्मा पक्षकार(प्रतिवादीगण)—</b>
	2. जेठाराम पुत्र उदाराम
	3. कुशलाराम पुत्र उदाराम
	4. उर्जाराम पुत्र उदाराम
	5. भंवराराम पुत्र उदाराम, कौम जाट, निवासी बायतु भीमजी, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर।
	6. तहसीलदार, बायतु।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर, बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 86/1991 बसुनवान खेराजराम बनाम पदमाराम में पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.1992 के विरुद्ध पेश हुई।

उपस्थिति:—

1. वकील श्री विष्णु चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री दुर्गाराम पूनिया रेस्पो. सं. 1/1, 3 व 5 की ओर से।
3. शेष रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

**—:निर्णय:—**

दिनांक:—11.11.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो./वादी खेराजराम की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा बायतु भीमजी के खसरा संख्या 213 व 305 तथा मौजा धारासर का तला के खसरा संख्या 1053, 1059, 1056 व 1058 संयुक्त खातेदारी के आये हुए हैं तथा मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है। राजस्व रेकार्ड में अलग-अलग हिस्से खुले हुए हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए अपीलांट/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा-काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में

(नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

पेश किया था। जिस पर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित हुआ जिससे अपीलांट के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अअधीनस्थ न्यायालय में रेस्पों./वादी खेराजराम की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा बायतु भीमजी के खसरा संख्या 213 व 305 तथा मौजा धारासर का तला के खसरा संख्या 1053, 1059, 1056 व 1058 संयुक्त खातेदारी के आये हुए है तथा मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है। राजस्व रेकार्ड में अलग-अलग हिस्से खुले हुए हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए अपीलांट/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा-काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिस पर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित हुआ, जो खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री स्वीकार करते हुए तहसीलदार द्वारा कब्जे-काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया था। लेकिन तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर नहीं जाकर अधीनस्थ कर्मचारियों से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया है, जो पक्षकारों के कब्जे-काश्त अनुसार तैयार नहीं किया गया है। मौके से कम रकबा करते हुए कब्जे-काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव में राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अपीलांट/प्रतिवादीगण को बिना सुने ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना है। अपीलांट/प्रतिवादीगण को बिना सुने ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव मंगवा लिया। जिससे वादग्रस्त आराजी से हितबद्ध समस्त पक्षकारों को सूचित नहीं करने करने से उपजाऊ आराजी केवल रेस्पों. को प्रदान कर दी गई। मौका कमिश्नर नियुक्त होने के बाद भी तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर आकर विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं करवाया गया था। विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा तैयार किया गया है। जो विधि संगत नहीं है। इस के संबंध में विधि/न्यायालय का स्पष्ट मत है कि "Tehsildar should have complied with the orders of the court in person in official capacity. He is not competent to further delegate power of the subordinate official. इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया है जो विधि अनुसार रिकार्ड पर लिये जाने योग्य नहीं है। उक्त एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है जिसको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा

(निमित्त कृत)

राजस्थान पीपुल्स प्राविकारी  
वाक्तेर

स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

वकील रेस्पोजेन्ट द्वारा बहस करते हुए वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया एवं निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को बिना सूचना के पारित किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलांटस को पूर्व में नहीं रही। इस त्रुटिपूर्ण आदेश का ज्ञान अपीलांटगण को होते ही अपीलांट के द्वारा उसी दिन नकल के लिये आवेदन किया और नकलें प्राप्त की गयी। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सदभाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोजेन्ट द्वारा वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत विभाजन प्रस्ताव में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) के नियम 18 से 21 की पालना का अभाव पाया गया है। जो हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्तानुसार विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। वक्त बहस वकील रेस्पों. ने भी पत्रावली रिमाण्ड किये जाने पर सहमति जाहिर की। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

(नवीन कुमार)  
राजस्थान न्यायिक प्राधिकारी  
वायपुर

गोमाराम वगैरह बनाम खेराजराम वगैरह  
अपील संख्या 62/2025

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 86/1991 बउनवान खेराजराम बनाम पदमाराम में पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.1992 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, विधि सम्मत विवेचन करते हुए एवं संबंधित तहसीलदार स्वयं उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने-अपने कब्जे-काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करते हुए तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

11/11/2025  
(नवनीत कुमार)

राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 11.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/11/2025  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर